न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 435/2017

1. रामनारायण पुत्र काना
2. संतोष कुमार पुत्र काना
3. मालीराम पुत्र काना
4. बंशीलाल पुत्र काना
5. नेमीचन्द्र पुत्र भूरा

समस्त जाति यादव, निवासी किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान

——अपीलांट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र नोला,
2. कल्याण दत्तक पुत्र खांगा
3. गणेश पुत्र जमुना
4. सुआ पुत्र जमना
5. कैलाश पुत्र राधेश्याम
6. मनोहर पुत्र राधेश्याम
7. रामदेव पुत्र नन्दा

समस्त जाति यादव, निवासी किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान

8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री नरोत्तम लाल ढ़ेबाना, अपीलांट की ओर से।

2– श्री सुरेश कुमार चाहर, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 ल. 7 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 03–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.5.2017, न्यायालय सहायक कलक्टर, सांभर लेक द्वारा पारित वाद संख्या 43/2010, उनवानी रामेश्वर बनाम बंशीलाल वगैरहा प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 व 10 लगायत 12 स्व. निरमा के वंशज है तथा पेशे से काश्तकार है तथा उनकी कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ग्राम कि0 रेनवाल में स्थित है पक्षकारों की पारिवारिक वंशावली वाद पत्र के मद नं. 1 में अंकित अनुसार है व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 की दीगर कृषि के अलावा कस्बा कि0 रेनवाल में निम्न खसरा नंबर की भूमि स्थित है। खसरा नंबर 475/1 रकबा 43 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 475/2 रकबा 1 बिस्वा , खसरा नबंर 511 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नबंर 513 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 49 बीघा 19 बिस्वा है। जिसमें निरमा के तीनों पुत्रों का बराबर बराबर हिस्सा था नानगा का जो 1/3 हिस्सा था उसके संबंध में नानगा के तीनों पुत्रों के मध्य आपसी सहमति से काना के पुत्रों के हिस्सें में आया तथा काना के पुत्र ही उस पर काबिज है इसी प्रकार के नोला का जो हिस्सा था वह हिस्सा नोला के परिवारजन की सहमति से वादी के अकेले के हिस्से में आया तथा नानगा के पुत्र भूरा व धन्ना के वंशज प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से की एवज में अन्य आराजी प्राप्त की इसी प्रकार से नोला के पुत्र देवा, रामू, व जमना के वंशज ने अपने हिस्से की एवज से अन्य आराजी प्राप्त की इस प्रकार से विवादग्रस्त आराजी में पक्षकारों का जो 1/3, 1/3 हिस्सा था उसके वाद के मद सं. 2 के अनुसार पक्षकार काश्त करते रहें व इस समय भी काबिज है परन्तु जब विवादग्रस्त भूमि वर्णित मद सं. 2 के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए तो विवादग्रस्त आराजी को पक्षकारों ने आपसी समझौते के द्वारा निम्न प्रकार से हल कर लिया वादी के हिस्से में खसरा नबंकर 475/1 व 475/2 में 2/3 हिस्सा रहा व खसरा नबंर 513 व 511 अकेले प्रतिवादी संख्या 3 कल्याण के हक व हिस्से में रही तथा खसरा नबंर 475/1 व 475/2 में 1/3 हिस्सा नानगा के वारिसान का जो स्वीकार किया गया वह नानगा के परिवारजन की सहमति से काना के पुत्रों के हिस्सें में रहा। इस प्रकार से विवादग्रस्त आराजी में से वादी अपने हिस्सें की एवज में खसर नबंर 475/1, 475/2 किता 2 कुल रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा में से 2/3 हिस्सें पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा इसी मुताबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादी वर्तमान में भी अपने 2/3 हिस्सें परी काबिज है तथ खसरा नबंर 511 व 513 से वादी को कोई संबंध नहीं है। पक्षकारान् उपरोक्तानुसार काबिज रहकर काश्त शान्तिपूर्वक करते आ रहे है। वादी खसरा नबंर 475/1 व 475/2 में जो उसका 2/3 हिस्सा है उसके अनुसार पूर्वी दिशा की ओर 2/3 हिस्सें पर काबिज है। वादी के पुख्ता मकान नोहरा इसमें बने हुए हैं वादी ने विद्युत कनेक्शन स्वंय के नाम से ले रखा है तथा वादी ने लाखों रूपया खर्च कर अपने 2/3 हिस्सें को उन्नत किया है। व सुधार किया है तथा भूमि को उपजाऊ बनाया है अब तक तो पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं था परन्तु कुछ समय से नानगा के वंशजों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो गये जिसके कारण से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक व अधिकारों से इंकार कर खसरा नबंर 475/1 व 475/2 में वादी के 2/3 हिस्से से इंकार करने लगा है व कब्जें में भी दखन उत्पन्न करने लगे हैं। इसी प्रकार से जमना के वंशज भी विवाद उत्पन्न करने है अतः वाद दायर करना आवश्यक हुआ ताकि वादी अपने हक व अधिकारों की घोषणा करा सकें। दिनांक 14–5–2010 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादग्रस्त भूमि के खसरा नबंर 475/1 व 475/2 में जो वादी का 2/3 हिस्सा है उसके संबंध में विवाद उत्पन्न किया व जबरन कब्जा करने की धमकी दी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि बल व हिंसा में विश्वास रखते है यदि अपने मंसूबों में कामयाब हो गये तो वादी को इस प्रकार की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी अतः अन्य प्रतिवादीगण जो उनके सहयोगी है समस्त प्रतिवादीगण को जारिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है एवं वादी खसरा नबंर 475/1 व 475/2 में 2/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार है तथा इस संबंध में अपने अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है एवं वादी अन्त में प्रार्थना चाही कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की जारी की जावें कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 475/1 व 475/2 कुल किता 2 कुल रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा में वादी 2/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार है जो पूर्वी दिशा का है तथा पश्चिमी दिशा का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का व खसरा नबंर 511 व 513 प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्सें की है, एक साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की से पाबन्द करवाये जाने की प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

की है कि वे खसरा नबंर 475/1 व 475/2 में वादी के 2/3 हिस्सें में कोई बाधा व अवरोध पैदा न करें और न ही वादी को बेदखल करने का प्रयास करें।

3– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 17–5–2017 पारित कर आराजी खसरा नबंर 475/1 व 475/2 कुल किता 2 कुल रकबा 43 बीघा 19 बिस्वा में 2/3 हिस्सा पूर्वी दिशा का वादी को तथा हिस्सा 1/3 पश्चिमी दिशा का प्रतिवादी संख्या 1, 2, 10, 11 व 12 को तथा खसरा नबंर 511 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नबंर 513 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4– अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य में दिनांक 10–7–2017 की पेशी में विचाराधीन थी जिसको वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12–5–2017 पर एकतरफा में सुना जाकर कैम्प कोर्ट भादवा में दिनांक 17–5–2017 को सुनवाई हेतु नियत कर दिया गया तथा उक्त दिवस को प्रतिवादीगण अपीलांट्स को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। खसरा नबंर 475/1 व 475/2 , 511 व 513 जो विवादग्रस्त है के संबंध में एक अन्य वाद संख्या 418/2008 अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है उसके निस्तारण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। वादगस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य विधिवत् तकासमा नहीं हुआ है इसके बावजूद भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में खसर नबंरान को विभाजित प्राय कर दिया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

5– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6– अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के साक्ष्य में चल रही थी तथा पत्रावली में आगामी पेशी 10–7–2017 नियत थी परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 12–5–2017 को पत्रावली फॉलो–अप कैंप भादवा में रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये पारित कर दिया गया। कैंप में न तो प्रतिवादी स्वयं तथा न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। वादग्रस्त आराजी से संबंधित एक अन्य वाद संख्या 418/2008

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था उस पर निर्णय किये वगैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। पक्षकारों के मध्य विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है फिर भी अपीलाधीन निर्णय द्वारा एक प्रकार से बंटवारा कर दिया गया है जो कि अपास्त योग्य है।

7– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय पूर्ण विवेचना अनुसार तथा तनकीवार निष्कर्ष अंकित किया जाकर पारित किया गया है। प्रकरण में जान–बूझकर प्रतिवादीगण द्वारा समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिये गये शपथ पत्रों के आधार पर पूर्ण विवेचना उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है तथा अपील अपीलांट निरस्त योग्य है।

8– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा अपील मुख्यतया इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को पूर्व में नियत तारीख पेशी दिनांक 10–7–2017 से कैंप भादवा में प्रतिवादीगण को सूचना दिये वगैर नियत किया गया, प्रतिवादी अपीलांट्स के साक्ष्य पूर्ण नहीं किये गये, अन्य वाद संख्या 418/2008 का निर्णय नहीं किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये स्वीकार कर डिक्री में संशोधन किया गया। इन आधारों की वैधता जांचने के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहां तक पत्रावली को पेशी दिनांक 10–7–2017 के स्थान पर दिनांक 17–5–2017 को कैंप में रखे जाने का प्रश्न है। इस संबंध में उभय पक्षकारान् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि पत्रावली को दिनांक 10–7–2017 के स्थान पर फॉलो–अप कैंप में रखवाया जावे। उभय पक्ष के प्रार्थना पत्र पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख पेशी संशोधित की जाकर प्रकरण को 17–5–2017 के फॉलो–अप कैंप में रखा गया। अपीलांट् द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं करने बाबत् आपत्ति ली है। इसके संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

दिनांक 20–2–2017 को साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पत्रावली दिनांक 27–2–2017 को नियत की गई थी। दिनांक 27–2–2017 को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा पत्रावली दिनांक 6–3–2017 को नियत की गई है। दिनांक 6–3–2017 को वकील प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21–3–2017 नियत की गई है। दिनांक 21–3–2017, तत्पश्चात 28–3–2017, 6–4–2017 को प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 20–4–2017 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 10 अपीलांट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। दिनांक 17–5–2017 की आदेशिका में अंकित किया गया है कि "पत्रावली कोर्ट कैंप भादवा में वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थन पत्र पत्रावली तलब हेतु दिनांक 21–5–2017 पेश किया जाने पर पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। वकील पक्षकारान द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वकील पक्षकारान की सहमति से साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किया जाकर वकील पक्षकारान की सहमति से बहस सुनी गई।" अधीनस्थ न्यायालय की उपर्युक्त आदेशिका दिनांक 17–5–2017 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने तथा सहमति के आधार पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई हैं। जहां तक अन्य वाद संख्या 418/2008 को कन्सोलिडेट कर निर्णय नहीं किये जाने का प्रश्न है। उक्त वाद को दिनांक 6–9–2011 को प्रश्नगत वाद के साथ कन्सोलिडेट किया गया था तत्पश्चात् वादी रामेश्वर द्वारा दिनांक 27–11–2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त दोनों वादों में खसरा नम्बर अलग है एवं विषय वस्तु भी अलग है इसलिए दोनों वादों की पृथक–पृथक सुनवाई किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप पत्रावली की आदेशिका दिनांक 8–8–2013 के द्वारा उक्त वाद को पृथक किया गया है। इसलिए उक्त वाद का निर्णय प्रश्नगत वाद के साथ किया जाना आवश्यक नहीं था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी. सी. वादीगण द्वारा दिनांक 24–5–2017 को प्रस्तुत कर टाईपिंग मिस्टेक से खसरा नम्बर 513 का रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर रकबा 2 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

11 बिस्वा अंकित होना तथा आदेश व डिक्री में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के आगे 10, 11, 12 अंकित होने से रह जाने को दुरूस्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया गया है। इस हेतु प्रतिवादीगण की सुनवाई किया जाना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा जिन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है उनमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक बल निहित नहीं है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील में उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त गुणावगुण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय नियमानुसार तनकियात कायम की जाकर तथा उनकी विस्तृत विवेचना कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पारित किया गया है जिसमें कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है। अपीलांटस द्वारा अपील भी जिन आधारों पर प्रस्तुत की गई है उनमें कोई बल निहित नहीं है अतः अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपील अपीलांट्स खारिज योग्य पाई जाती है।

9— अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17—5—2017 मय संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—5—2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे।

10— निर्णय आज दिनांक 03—11—2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर